

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 461]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2012—कार्तिक 11, शक 1934

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्र. एफ-2-20-2011-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 85 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के सदस्य (तकनीकी) एवं सदस्य (इकोनॉमिक्स) के पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन करने के लिए निम्नानुसार चयन समिति का गठन करता है :—

(क)	जस्टिस एन. के. जैन, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश.	—	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	—	सदस्य
(ग)	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण	—	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, सचिव.